न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी – सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

अपील संख्या 13 सन् 2021 निर्णय दिनांक 09.03.2022

ताराचन्द जांगिड़ निवासी वी.पी.ओ. सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर

– **प्रार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) राजगढ़

– **अप्रार्थीगण**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1), सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

–:: **निर्णय** ::–

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अपीलांट के अनुसार दिनांक 21.04.2021 को लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) राजगढ़ को एक आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत पेश किया। निर्धारित समयावधि में लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) राजगढ़ द्वारा प्रार्थी अपीलांट को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी। इस कारण प्रार्थी अपीलांट ने प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की तल्बी की गई।

लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) राजगढ़ से दिनांक 23.02.2022 को अपील के संबंध में प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ की आवेदक द्वारा चाही गई सूचना दिनांक 16.12.2021 को जरिये ई–मेल उपलब्ध करवा दी गई है।

सुनवाई के दौरान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त प्रत्युत्तर पर मनन किया गया। चूंकि चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपील खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर,
चूरू